रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222516 CG-DL-E-16102020-222516

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3238] No. 3238] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3652(अ).—केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वायुयान पट्टे को, जिसके अंतर्गत वायुयान या हेलीकाप्टर तथा वायुयान या हेलीकाप्टर के ईंजन या उसके किसी भाग का प्रचालन और वित्तीय पट्टा तथा उसके प्रचालन और वित्तीय पट्टो का संयोजन भी है, वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/4/ईएम-2020]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

4986 GI/2020 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Economic Affairs)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October 2020

- **S.O.** 3652(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government herby notifies aircraft lease which shall include operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of aircraft or helicopter and engines of aircraft or helicopter or any other part thereof, as financial product.
  - 2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/4/EM-2020]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3653(अ).—केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के उपखंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित, जिनके लिए पात्रता मानक प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएंगे, सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ग्लोबल इन हाउस सेंटरों (जीआईसी) को वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/4/ईएम-2020]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th October, 2020

- **S.O.** 3653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xiv) of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government herby notifies Global in-House Centres (GIC), as financial service to provide services relating to financial products and financial services, for which eligibility criteria shall be provided by the Authority in regulations.
  - 2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/4/EM-2020]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.